कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer Construction Division PWD Barkot (Uttarkashi)

E-Mail eepwdbakot@rediffmail.com **Fax Tel No 01375224828**

पत्रांक 247 / 42 30 दिनांक 15/2/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार मोटर मार्ग निर्माण के आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपके पत्रांक 895/12–1 दिनांक बड़कोट अक्टूबर 07/2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	**आपत्तियां**	**निराकरण**
1	दिनांक 22.09.2017 को गणना किये गये वृक्षों की अंकित सूची आपके स्तर से अभी तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण प्रस्ताव पर प्रभाग स्तर से अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।	दिनांक 22.09.2017 की गई गणना सूची का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा 958 वृक्षों की गणना सूची तैयार की गई है। जिसको आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
2	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि के एवज में दुगुने सिविल सोयम भूमि जो आपके द्वारा मौजा सरनौल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2011 में उपलब्ध कराया गया था वह भूमि तीन टुकड़ों क्रमशः 3.627 है0, 3. 628 है0 तथा 1.313 है0 मुं उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 825/12–1 दिनांक 27.09.2017 से आपको अवगत भी कराया गया है। अतः इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराया जाता है कि विषयगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि के	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता हेतु संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उत्तरकाशी में गंगराली (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु सिविल सोयम जिसका क्षेत्रफल 4.284 है0 के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 8.568 है0 के अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा क्लोजगांव मध्ये पट्टी गोडर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है। जिसका जी0आई0एस0 मैप व टॉप सीट मैप भी

	एवज में जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दागुने सिविल सोयम भूमि क्षेत्रफल 8.568 है0 उपलब्ध कराया गया है वह छोटे भू–खण्ड होने के कारण उन टुकड़ों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसकी सुरक्षा किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त भूमि की अनुपयुक्तता के कारण इसके स्थान पर एक ही क्षेत्र में कुल 8.568 है0 भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि दस भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी से करवाया जा सके।	ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (पत्रावली) तीन प्रतियों में :–

भवदीय

15/02/18

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0बडकोट